

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या IRR-2-1/1.10/5/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 27863)/I/223441/2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा अनुदान संख्या-30 के राजस्वलेखा मद के मुख्य लेखाशीर्षक 2711 अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के लघु निर्माण कार्य मद में निर्माणाधीन बाढ़ कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा ₹ 158.32 लाख (₹ एक करोड़ अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुये किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 158.32 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार /मदवार निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र0 स0	मद का विस्तृत विवरण/मुख्य अभियन्ता/खण्ड/ योजना का नाम	(धनराशि ₹ लाख में) आवंटित धनराशि
क	30/2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 01-बाढ़ नियंत्रण, 103-सिविल निर्माण कार्य, 03-निर्माण, 00-, 52-लघु निर्माण (2711-01-103-03-00-52) मुख्य अभियन्ता स्तर-1, देहरादून सिंचाई खण्ड, पुरोला	
1	जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड के ग्राम चपटाडी गांव के खेतों की चपटाडी खड्ड से बाढ़ सुरक्षा कार्य।	8.73
2	Flood protection work in Kumola ke Roupal khadd in Purola block of District Uttarkashi.	6.87
3	जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड में ग्राम बिंगसारी गाडका तोक में बाढ़ सुरक्षा कार्य।	4.29
4	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के ग्राम कुमोला के निचला कनेरा नामे तोक में बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना।	6.95
5	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला ब्लाक के घुण्डाडा के घुण्डाडा खड्ड की कृषि भूमि पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	8.17
6	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के गुन्दियाटगांव के सौकातोका एवं मनरा तोका में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजना।	8.17
7	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के दुंकरा के मोली तोका में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	6.38
8	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के ग्राम रामा के घटूका तोका में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	6.61
	योग सिंचाई खण्ड, पुरोला	56.17
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-1, देहरादून	56.17
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोड़ा	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम बोरागांव के तोका चलवा में रोतिसगाड के किनारे आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	6.41
2	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट के ग्राम गराली के तोका तुलगाडी में स्थानीय गधेरे से गांव की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना।	8.75
3	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम गोबराडी के टिटौरिया की मदगाड गधेरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	12.26

क्र० स०	मद का विस्तृत विवरण/मुख्य अभियन्ता/खण्ड/ योजना का नाम	आवंटित धनराशि
4	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम पंचायत चिटगालगांव के ग्राम तडखेत की तडकेश्वर गधरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	19.80
5	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम लखतीगांव की लखीरीया गधरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	12.40
6	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम लखतीगांव की बलैत गधरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	10.90
7	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम लीमाभाट के सूनीखेत तोक की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	6.23
8	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम लीमाभाट की टूनेरा गधरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	19.69
9	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम लीमाभाट की गडदेवी तोक की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना।	5.60
	योग संचाई खण्ड, पिथौरागढ़	102.15
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोड़ा	102.15
	कुल योग	158.32

(₹ एक करोड़ अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या IRR-2-1/1.10/5/2022-II-2-Irrigation and Irrigation Department (Computer No. 27863)/I/223441/2024, दिनांक 15.07.2024 में उल्लिखित निम्न शर्त प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :-

- उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिनियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का रूप से पालन किया जायेगा।
- धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासन सं०-201358/09(150)/2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2024 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासंभव इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।